जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल
JEEVIKA
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
प्रथम तल, विद्युत भवन–2, बेली रोड, पटना–800 021, दूरभाष :+91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.brlp.in

Ref. No: BRLPS/Project/77/08/4715

Date: 23.02.2017

कार्यालय आदेश

8 मार्च 2017 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जीविका के संकुल स्तरीय संघ/प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन निम्नानुसार किया जाना है :–

संकुल स्तर पर होने वाली गतिविधियाँ :–

1. **रैली/परिचर्चा/संगोष्ठी**
2. **समयावधि** : – सुबह 8 से 9 बजे
3. **संचालन** : –

क. संकुल स्तरीय संघों/ग्राम संगठन (जहाँ संकुल स्तरीय संघ नहीं बना है) की बैठकों में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम के आयोजन हेतु विस्तृत चर्चा की जानी है। यह चर्चा महिला दिवस के पूर्व आयोजित बैठक में की जा सकती है।

ख. सभी संकुल स्तरीय संघों/ग्राम संगठन (जहाँ संकुल स्तरीय संघ नहीं बना है) द्वारा 6 एवं 7 मार्च , 2017 को खुले में शौच से मुक्त/ मद्य निषेध पर रैली निकली जानी है ।

ग. सभी संकुल स्तरीय संघों/ग्राम संगठन (जहाँ संकुल स्तरीय संघ नहीं बना है) द्वारा रैली के तुरंत बाद शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है।

घ. प्रखंड परियोजना प्रबंधक, संकुल स्तर पर होने वाले रैली एवं गतिविधियों के लिए एक नोडल व्यक्ति को नामित करेंगें।

ड. संकुल स्तर पर होने वाले रैली में उस कलस्टर के क्षेत्रीय समन्वयक/समुदाय समन्वयक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

च. जिला समन्वयन इकाई के सदस्य जो प्रखंड के मेंटर हैं संकुल स्तरीय संघ में होने वाले कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

छ. प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा प्रखंड के कैमरे से सम्पूर्ण गतिविधियों को संकलित करेंगे।

प्रखंड स्तर पर आयोजित होने वाली गतिविधियाँ :–

1. **कार्यक्रम** : – अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
2. **समयावधि** :– सुबह 9 से अपराह्न 01 बजे तक।
3. **स्थान** : – पंचायत भवन /सरकारी विद्यालय का प्रांगण।

संचालन एवं विवरणी :–

क. प्रखंड स्तर पर 8 मार्च, 2017 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन होना है।

ख. कार्यक्रम में 200–250 संकुल स्तरीय संघों /ग्राम संगठन के सदस्य उपस्थित होंगी।

ग. प्रखंड परियोजना प्रबंधक इस कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी /थानाध्यक्ष/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/सी० डी० पी० ओ० एवं अन्य पदाधिकारियों को आमंत्रण देकर उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे ।

घ. कार्यक्रम की विस्तृत सूचना थाना एवं प्रखंड कार्यालय को दी जानी है।

ड. कार्यक्रम के दौरान संकुल स्तरीय संघों/ग्राम संगठन के बीच महिलाओं के लिए उपयुक्त खेल (जैसे– रस्साकस्सी/ म्यूजिकल चेयर/ रंगोली प्रतियोगिता) इत्यादि का आयोजन किया जाना है ।

च. प्रतियोगिता में उत्कृष्ट स्थान प्रदान करने वाली सदस्यों को पुरस्कृत किया जायेगा।

छ. मध्य निषेध/खुले में शौच से मुक्त होने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक–एक ग्राम संगठन को पुरस्कृत किया जायेगा ।

ज. ग्राम संगठन/ संकुल स्तरीय संध के सदस्यों द्वारा अनुभवों को साझा किया जाएगा।

झ. तीन ग्राम संगठन जिन्होंने –सामाजिक समावेशन, वित्तीय समावेशन, आजीविका संवर्धन की दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया है उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा।

ञ. जिला परियोजना प्रबंधक सहित जिला समन्वयन इकाई के सभी सदस्य (प्रखंड मेंटर) प्रखंड परियोना प्रबंधक से समन्वय कर प्रखंड स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

ट. राज्य प्रबंधन इकाई के सभी सदस्य (जिला मेंटर) जिला परियोजना प्रबंधक से समन्वय कर प्रखंड स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

ठ. प्रखंड स्तर पर होने वाले कार्यक्रम के लिए प्रति प्रखंड 10000/– (दस हजार रूपये) की राशि स्वीकृत की गयी है।

दस्तावेजीकरण (Documentation)– प्रबंधक–संचार, संकुल स्तर/प्रखंड स्तर पर होने वाले समस्त कार्यक्रम के विषय में विस्तृत प्रतिवेदन एवं चित्र राज्य कार्यालय में समर्पित करेंगे।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आदेशानुसार

23/4/2017

(विशेष कार्य पदाधिकारी)

प्रतिलिपि :

1. सभी संबंधित पदाधिकारी, राज्य कार्यालय
2. सभी संबंधित पदाधिकारी , जिला कार्यालय
3. सभी संबंधित पदाधिकारी, प्रखंड कार्यालय को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।